



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BANGALORE - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.1094**

**मद/FOR ITEM: विमानन टरबाइन फ्यूल टाइप (के-50) बीआईएस :**  
**Resin Lord 305-1 and Hardener Lord 305-2**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स न्युमालिगड रिफ़ैनरी लिमिटेड, पंकग्रान्ट, जिला गोलघट, न्युमालिगड रिफ़ैनरी प्रोजेक्ट, असाम - 785 699, द्वारा उत्पादित हाइड्रोक्राकर तथा मेरॉक्स का मिश्रण "विमानन टरबाइन फ्यूल" टाइप (के-50), एफ.ओ.एल प्राजेक्ट आफिस, सेमिलाक, द्वारा एचएएल बीसी, प्रशासन ब्लॉक बंगलोर-560 017 के समन्वय से परीक्षण सूची सं.एफओएल/टीएस/04/2001 दिनांक 17-10-2001 (सातवाँ रिविशन) के अनुसार उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्नक "वर्गरिकार्ड" की विवरण/परीक्षण सम्बंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। यह विमानन टरबाइन फ्यूल भारतीय आर्मड फोर्स द्वारा प्रचलित मिलिटरी वायुयान के उपयोग के लिए उपयुक्त पाया गया है।

*This is to certify that the "a) Resin Lord 305-1, b) Hardener Lord 305-2" against Russian Glue L-4 designed, developed & manufactured by M/s. "Lord India Chemical Ltd, Plot No. 26, MIDC, Satpur, Nasik-, 422 007, are hereby approved for production for use on MIG a/c floats. These have been tested as per type test specification/ schedule "Specification/Instruction No. 827.62 & TS/IND/61/41" in coordination with RCMA (Nasik), These have met the requirements of specification as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix - " A "*

2. ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये ।

*The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है तथा सभी उत्पादित बैचों के परीक्षण रिपोर्टों को अग्रेषित किया जाता है ।

*This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

4. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2008 तक वैध है । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(एए) से अनुरोध करना होगा ।

*This Type Approval is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2009 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (NAsik), C/o HAL Nasik Division, Ojhar Township 422 207, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.*

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेन्ट में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record Compliance Statement enclosed are effected.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No.: सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1094

दिनांक/Date : 20 जनवरी 2005

फेक्स सं/Fax No: 080-5230856

20/1/05  
(जे.के.शर्मा/J.K.SHARMA)  
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)

07/01/05  
7/1/05